महत्वपूर्ण/सयमबद्ध

संख्या-2791 /71-2-11-1028/83

प्रेषक,

अजीत प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2011

विषय- संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की प्रथम विनियमावली 2011 के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1983 (अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) की धारा-41 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति के अधीन संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की प्रथम विनियमावली अधिसूचना संख्या-2683/71-2-11-1028/83 दिनांक 29 जुलाई, 2011 द्वारा सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) दिनांक 29-7-2011 में प्रकाशित की जा चुकी है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अजीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

संख्या- (1)/71-2-11-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अजीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

E/Pankaj/Sunil Sir Go

क्रम-संख्या—175

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 जुलाई, 2011
श्रावण 7, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या : 2683/71-2-11-1028/83
लखनऊ, 29 जुलाई, 2011

अधिसूचना

सा0प0नि0—56

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) की धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल संस्थान की निम्नलिखित प्रथम विनियमावली बनाते है:—

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
प्रथम विनियमावली, 2011
अध्याय—एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1 (1) यह विनियमावली संजय गाँधी, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान प्रथम विनियमावली 2011 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं — 2 1— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में:—

(एक) अधिनियम' का तात्पर्य संजय गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 से है,

(दो) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य धारा—11 में यथा उपबंधित संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष से है,

(तीन) 'विभागीय पदोन्नति समिति' का तात्पर्य विभागीय पदोन्नति समिति से है,

(चार) 'विभाग' का तात्पर्य संस्थान के किसी शैक्षणिक विभाग से है,

(पॉच)संकाय सदस्य' का तात्पर्य अध्यापन कर्मचारि वर्ग से है और जिसमें प्रतिष्ठित आचार्य, पारंगत आचार्य, ख्याति प्राप्त आचार्य, ज्येष्ठ आचार्य, आचार्य, अपर आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य सम्मिलित है,

(छः) वित्तीय हस्तपुस्तिका' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्राधिकारी द्वारा जारी वित्तीय हस्तपुस्तिका से है,

(सात) 'मूल नियम' का तात्पर्य सरकारी सेवकों के लिए यथा प्रयोज्य मूल नियमों से है,

(आठ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(नौ) 'नियमावली' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1991 से है,

(दस) 'अनुसूची' का तात्पर्य इस विनियमावली में संलग्न अनुसूची से है,

(ग्यारह) 'धारा' का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है,

(बारह) 'भर्ती वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह महीने की अवधि से है।

(2) इस विनियमावली में प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जैसा कि उनके लिए अधिनियम और नियमावली में समनुदेशित है।

अध्याय-दो
अधिकारी और कृत्यकारीगण

अध्यक्ष

3 **अध्यक्ष के कृत्य और शक्तियॉ**

अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि अधिनियम, नियमावली और इस विनियमावली की अनुसूची एक और दो में उपबंधित है।

निदेशक
धारा-41(1)(ज).

4 **(क) नियुक्ति/चयन का माध्यम**

संस्थान के कुलाध्यक्ष द्वारा निदेशक की नियुक्ति की जायेगी।

(ख) अहर्ता

निदेशक को किसी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्था में आचार्य/सह आचार्य/उपाचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष अध्यापन अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, जिसमें कम से कम पॉच वर्ष किसी विभाग में आचार्य के रूप में होना चाहिए। चिकित्सा राहत, चिकित्सा शोध, चिकित्सा शिक्षा अथवा लोक स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव और प्रशासनिक अनुभव और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा संस्था को इसके अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष के रूप में चलाने का पर्याप्त अनुभव रखने वालों को अधिमान दिया जा सकता है।

(ग) सेवाकाल

निदेशक अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु पैसठ वर्ष पूर्ण करने तक जो भी पहले हो के लिए पदभार ग्रहण करेगा।

(घ) निदेशक की शक्तियॉ और कर्तव्य –

(एक) निदेशक, शैक्षणिक परिषद्, चिकित्सालय परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, और इन समितियों को संचालित करने अथवा अधिवेशन बुलाए जाने की शक्ति होगी।

(दो) वह शासी निकाय का उपाध्यक्ष होगा।

(तीन) वह संस्थान के समूह-'ख', 'ग' और 'घ' वर्ग के कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा, और ऐसे परिसीमन और निर्बन्धनों के अधीन जैसा वह उचित समझे, इस शक्ति का प्रतिनिधायन अपने नियंत्रणाधीन ऐसे अधिकारियों/अधिकारी को कर सकता है।

(चार) अधिनियम, नियमावली और इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–एक के निबन्धन में निदेशक विभागाध्यक्ष होगा और विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अन्य बातों के साथ–साथ नीचे उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगाः–

(क) वह संस्थान के प्रशासन का प्रभारी होगा और संस्थान के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कर्तव्य आवंटित करेगा और ऐसे पर्यवेक्षण और कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग करेगा जैसा आवश्यक हो।

(पॉच) उसे संस्थान के संकाय सदस्यों, रेजीडेंट्स, छात्रों, प्रशिक्षुओं और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को उस प्रकार से, जैसा वह संस्थान अथवा इसके चिकित्सालय की कार्य–प्रणाली के लिए ठीक समझे, उपयोग करने की शक्ति होगी।

(छः) वह संस्थान द्वारा या इसके विरूद्ध विधि वादों अथवा प्रकियाओं में संस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा, पावर्स ऑफ अटार्नी हस्ताक्षरित करेगा और अभिवचन सत्यापित करेगा या संस्थान के किसी अधिकारी को इस प्रयोजनार्थ अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनियुक्त करेगा और उस अधिकारी को इन कर्तव्यों को निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत करेगा।

(सात) वह असीमित अवकाश के बिना क्लिनिकल, अध्यापन और शोध कर्तव्यों का निष्पादन जारी रख सकता है, और ड्यूटी लीव, सम्मेलन में भागीदारी विद्यार्जन संसाधन भत्ता, शोध अनुदान आदि जैसे कि किसी अन्य संकाय सदस्य को उपलब्ध हों, के साथ–साथ विभिन्न परिलब्धियों और सुविधाएं उपभोग करने का पात्र होगा।

(आठ) शासी निकाय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अधीन निदेशक को परीक्षकों, विशेषज्ञों, निरीक्षकों, अनुसीमकों (माडरेटर्स) आदि को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(नौ) समस्त शोध प्रस्ताव चाहे वे संस्थान द्वारा निधिकृत किये जाने हों या बाह्य स्रोत अथवा दोनों के द्वारा, निदेशक के अनुमोदन के पश्चात ही उपकमित किये जायेंगे।

(दस) अनुसूची एक व दो में यथा उल्लिखित अन्य शक्तियॉ।

(ग्यारह) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन भी करेगा जैसा कि समय–समय पर संस्थान, शासी निकाय और अध्यक्ष के द्वारा उसे प्रत्यायोजित अथवा समनुदेशित किये जाएं।

अपर निदेशक (धारा–9 (छ) और नियम–5)

5 **(क) नियुक्ति/चयन का माध्यम**

अपर निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जायेगी।

(ख) अपर निदेशक की शक्तियॉं और कर्तव्य

(एक) अपर निदेशक, निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(दो) वह संस्थान के सामान्य प्रशासन जैसे कि नियुक्ति और कार्मिक मामले, निर्माण, अनुरक्षण उपापम इत्यादि के लिए उत्तरदायी होगा।

(तीन) वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि निदेशक द्वारा उसे समनुदेशित किये जायं।

(चार) वह संस्थान और सरकार के मध्य समन्वय करेगा।

(पांच) वह संस्थान के सभी कानूनी निकाय बैठकों के लिए विशेष आमंत्रित व्यक्ति होगा।

(छः) वह अनुसूची एक के स्तम्भ 4 में यथा उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा।